Moral Action (नैतिक कर्म)

नैतिक प्रत्यय का प्रयोग दो अर्थों में होता है— संकुचित और व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ में सत् अथवा उचित को नैतिक (moral) कहते हैं और असत् अथवा अनुचित को अनैतिक। नीति-शास्त्र 'नैतिक' प्रत्यय को इस अर्थ में ग्रहण नहीं करता। वृहत या व्यापक अर्थ में नैतिक का अर्थ है नैतिक गुणसंपन्न। जिन क्रियाओं का नैतिक निर्णय हो सके तथा जिन्हे सत् या असत्, उचित या अनुचित, पाप या पुण्य कहा जा सके, उन्हे नैतिक कर्म (Moral action) कहते हैं। पी० बी० चटर्जी के शब्दो में, "नैतिक" शब्द का अर्थ है जिसमे नैतिक गुण (उचित और अनुचित, सत् और असत्, शुभ और शुभ) प्रस्तुत हों, अर्थात् जो सत् अथवा असत्, शुभ या अशुभ हो।" इसी प्रकार डॉ० जे० एन० सिन्हा के अनुसार, "नैतिक का अर्थ है, जिसमे नैतिक गुण (सत् या असत्) वर्तमान हो।"

नैतिक कर्मों को ऐच्छिक कर्मों भी कहते हैं। वैसा कर्म जो चेतन रूप से इच्छा या चुनाव करके किया जाता है, उसे ऐच्छिक

कर्म करते हैं। इन कर्मों के संपादन में व्यक्ति का इच्छा-स्वातंत्र्य (freedom of will) रहना आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति दबाव (Pressure) में आकर कर्म करता है, तब उसके कर्म को ऐच्छिक कर्म नहीं कहा जा सकता। ऐसा कर्म नीतिशास्त्र का विषय नहीं हो सकता। केवल ऐच्छिक कर्मों (Voluntary actions) से ही नीतिशास्त्र का संबंध रहता है। ये ऐच्छिक कर्म नैतिक कर्म हैं। इनपर नैतिक निर्णय देना नीतिशास्त्र का लक्ष्य रहता है। ये ऐच्छिक कर्म नैतिक कर्म हैं। इनपर नैतिक निर्णय देना उचित या अनुचित, शुभ या अशुभ कुछ भी हो सकते हैं। सत्य बोलना शुभ है और चोरी करना अशुभ। यहां सत्य बोलना और चोरी करना दोनों ही ऐच्छिक क्रियाएं अर्थात नैतिक क्रियाएं हैं।

नैतिक कर्म का एक यह महत्वपूर्ण लक्षण है कि इसका कर्ता सदैव एक विवेकसंपन्न व्यक्ति होना चाहिए। अविवेकी या पागल के ऐच्छिक और अभ्यास-जन्य कर्म नैतिक नहीं कहे जा सकते और इनका निर्णय नहीं हो सकता।